ACE/NO/Gen/24-25/131 07/3/2025

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन,जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : F 9(4)/Sch./SJED/A.Y. 2024–25/2024 दिनांक :

संयुक्त/उप/सहा. निदेशक,
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
समस्त, राजस्थान।

विषय : विभाग द्वारा छात्रवृति योजनान्तर्गत जारी मानक संचालन प्रक्रिया 2024 के बिन्दु संख्या 4.7 एवं 5.3 में अंकित प्रावधान को प्रभावी किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : मानक संचालन प्रक्रिया 2024 क्रमांक 17303 दिनांक 06.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक मानक संचालन प्रक्रिया 2024 क्रमांक 17303 दिनांक 06.11.2024 के बिन्दु संख्या 4.7 एवं 5.3 में अंकित प्रावधान दिनांक 01.04.2025 से छात्रवृति पोर्टल पर प्रभावी किये जा रहे है।

कृपया आपके जिला कार्यालय से संबंधित शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियो को उक्त प्रावधानों के संबंध में अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थी छात्रवृति से वंचित न हो।

मानक संचालन प्रक्रिया 2024

(अ) बिन्दु संख्या 4.7 –

छात्रवृति आवेदन में विद्यार्थी द्वारा कोई भी आक्षेप पूर्ति (आक्षेप लगने के 45 दिवस में) स्वयं विद्यार्थी के बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही संभव होगी। यदि विद्यार्थी द्वारा 45 दिवस में आक्षेप पूर्ति नहीं की जाती है तो आवेदन पोर्टल द्वारा स्वतः ही रिजेक्ट कर दिया जायेगा। विद्यार्थी का आवेदन रिजेक्ट किये जाने से 15 दिवस पूर्व विद्यार्थी को आक्षेप पूर्ति नही करने की स्थिति में आवेदन रिजैक्ट होने की चेतावनी का मैसेज पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रेषित किया जावें।

(ब) बिन्दु संख्या 5.3 –

संस्थान द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्र पूर्ण जाँच के पश्चात् 30 दिवस में अनिवार्य रूप से गुणावगुण के आधार पर आक्षेपित(बैक-टू-स्टूडेंट)/ सत्यापित /निरस्त किया जायेगा। यदि शिक्षण संस्थान द्वारा 30 दिवस में आवेदन आक्षेपित(बैक-टू-स्टूडेंट)/ सत्यापित /निरस्त नहीं किया जाता है तो आवेदन पोर्टल द्वारा स्वतः ही रिजैक्ट कर दिया जायेगा। आई.टी. टीम पोर्टल पर यह प्रावधान करेगी की आवेदन लम्बित रहने के दिवस कॉलेज एडमिन को फोन्ट कलर के परिवर्तन के माध्यम से {15(ब्लैक) 20 (येलो), 25 (रैड)} प्रदर्शित हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2025.03.28 17:09:26 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Forward to
NB/WB/App
Praveen Baghel
Student Circulation